न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या: 42/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/72)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. उर्मिला देवी पत्नी भूषण कुमार जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. करनैल सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. कुलवन्त सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. चन्द सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 4. ज्ञान सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 5. जसविन्द्र कौर पत्नी मेला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 6. दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 7. नाजम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 8. पृथ्वी सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 9. बलराज सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 10. भान सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 11. भोला सिंह पुत्र भगत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 12. राज सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 13. लखवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 14. लाभ सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 15. सुखवीर सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 16. सतनाम सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 17. हरप्रीत सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 18. हरपिन्द्र सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 19. गुरजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 20. गुरविन्द्र कौर उर्फ गिन्दी उर्फ कुलजीत कौर पुत्री जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 21. जसविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 22. दर्शन सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 23. बसंत सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 24. लखवीर कौर पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 25. लखवीर कौर पत्नी संतोख सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 26. लखवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	27. संतोख सिंह पुत्र जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 28. हरबन्स सिंह पुत्र तारा सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 29. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादी **तारीख रजू 21.03.2024**
2.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 20, 21, 25, 27
3.श्री मनीष जागिंड प्रतिवादी संख्या 23, 24

––निर्णय–– **दिनांकः24.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 76/66 के मुरब्बा नम्बर 19, 22, 23, 24, 32, 37, 53/12, 53/22, 53/29 की कुल 15.908 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/33 के मुरब्बा नम्बर 20, 42, 43, 49, 53/27 की कुल 12.616 हैक्टेयर भूमि, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त दोनों खातों में वादिया के नाम 4.434 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से वाहमी बंटवारा किया हुआ है। वाहमी बंटवारानामा अनुसार वादिया को चक 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 7/2 की 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.252 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 सालम, किला नम्बर 12 सालम, किला नम्बर 13/1 की 0.089 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 2 ता 9 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 12 ता 16 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 19 की 0.209 हैक्टेयर भूमि कुल 4.434 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर वादिया आज तक लगातार, शांतिपूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया की उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादिया वाहमी बंटवारा में प्राप्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाना चाहती है। ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। दावा डायरी से दो रोज पूर्व वादिया ने प्रतिवादीगण से अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 76/66 के मुरब्बा नम्बर 19, 22, 23, 24, 32, 37, 53/12, 53/22, 53/29 की कुल 15.908 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/33 के मुरब्बा नम्बर 20, 42, 43, 49, 53/27 की कुल 12.616 हैक्टेयर भूमि में से वादिया को वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 20, 21, 25, 27 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 20, 21, 25, 27 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने बाबत अर्ज किया। लिहाजा जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 19, 22, 23, 24, 26, 28 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 20, 21, 25, 27 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 20, 21, 25, 27 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि.

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 76/66 के मुरब्बा नम्बर 19, 22, 23, 24, 32, 37, 53/12, 53/22, 53/29 की कुल 15.908 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/33 के मुरब्बा नम्बर 20, 42, 43, 49, 53/27 की कुल 12.616 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी उर्मिला देवी व प्रतिवादीगण गुरविन्द्र कौर उर्फ गिन्दी उर्फ कुलजीत कौर, जसविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह, लखवीर सिंह पुत्र संतोख सिंह, संतोख सिंह पुत्र जैला सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें**। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या 23, 24 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 23, 24 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश निरस्त किए गए। प्रतिवादी संख्या 23, 24 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल रहे। प्रकरण में संशोधित डिक्री जारी की गई। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने पंत्राक 4018 दिनांक 19.12.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 76/66 के मुरब्बा नम्बर 19, 22, 23, 24, 32, 37, 53/12, 53/22, 53/29 की कुल 15.908 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 41/33 के मुरब्बा नम्बर 20, 42, 43, 49, 53/27 की कुल 12.616 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 20, 21, 23, 24, 25, 27 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	उर्मिला देवी पत्नी भूषण कुमार जाति अग्रवाल निवासी श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। (4.296 हैक्टेयर)	12 ओ	37	7/2	0.089 बारानी	नहरी	0.38
				8	0.252 हैक्टेयर	नहरी	2.24
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	2.25
				13/1	0.089 हैक्टेयर	नहरी	0.79
			53/22		0.071 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
			42	2 ता 9	2.024 हैक्टेयर	बारानी	8.80
				12 ता 16	1.265 हैक्टेयर	बारानी	5.50
2	गुरविन्द्र कौर उर्फ गिन्दी उर्फ कुलजीत कौर पुत्री जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.285 हैक्टेयर) जसविन्द्र कौर पत्नी जसवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.138 हैक्टेयर) लखवीर सिंह पुत्र सन्तोख सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (2.802 हैक्टेयर) संतोख सिंह पुत्र जैला सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (1.971 हैक्टेयर)	12 ओ	42	1	0.227 हैक्टेयर	बारानी	0.99
				10	0.227 हैक्टेयर	बारानी	0.99
				11	0.227 हैक्टेयर	बारानी	0.99
				19	0.063 हैक्टेयर	बारानी	0.27
				20	0.228 हैक्टेयर	बारानी	0.99
				21	0.228 हैक्टेयर	बारानी	0.99
				22	0.063 हैक्टेयर	बारानी	0.27
			43	5/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				6,7	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				8/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	1.12
				8/2	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				9, 10	0.506 हैक्टेयर	नहरी	4.50
				12	0.127 हैक्टेयर	नहरी	1.13
				13 ता 25	3.289 हैक्टेयर	बारानी	14.30
			53/27		0.126 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3	बसंत सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.315 हैक्टेयर) लखवीर कौर पत्नी रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। (0.590 हैक्टेयर)	12 ओ	42	17/2 18 19 22 23	0.019 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.190 हैक्टेयर 0.190 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	बारानी बारानी बारानी बारानी बारानी	0.08 2.10 0.83 0.83 1.10

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर